10रु. COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

10रु. COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

18

न्यायालय राजस्व मण्डल महोदय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0क0 /निग. /13-14 R. 2224-I/14

राजकुमार पुत्रश्रीहुकमसिंह जाति दांगी
निवासी ग्राम अटारीखेजड़ा तहसील
गुलाबगंज जिला विदिशा ... आवेदक/
निगरानीकर्ता

श्री राजीव रघुवंशी, अधि०
द्वारा आज दि. 23-7-14 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 23-7-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. शैतानसिंह पुत्रश्रीबाबूलाल जाति दांगी
निवासी ग्राम अटारीखेजड़ा तहसील गुलाबगंज
जिला विदिशा

2. म0प्र0शासन

.... अनावेदकगण

Rajeev Raghuvanshi
Adv

निगरानी विरूद्ध सीमांकन दिनांक 28-5-2014
न्यायालय तहसीलदार गुलाबगंज के राजस्व निरीक्षक
के प्र0क0 18/अ-12/13-14 अंतर्गत धारा 50 म0प्र0
भू-राजस्व संहिता

= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

(52)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2224 एक / 14 जिला विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10—09—2014	आवेदक अधिवक्ता श्री राजीव रघुवंशी उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता पर सुना । 2— आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय गुलाबगंज जिला विदिशा के प्र0क0 18 / अ—12 / 2013—14 में पारित आदेश दिनांक 28—5—14 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है । 3— आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में यह बताने में असफल रहे कि तहसील न्यायालय की सीमांकन कार्यवाही में उसके हित कैसे प्रभावित हो रहे है ? तहसील न्यायालय के द्वारा की गई सीमांकन की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का कोई आधार आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः प्रथमदृष्टया यह निगरानी आधारहीन होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है । प्रशासकीय सदस्य	